

देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना का शुद्धि-पत्र :-

अधिसूचना संख्या— 98 / भू अ०

दिनांक— 3/2/18

मौजा—बजरमरुआ, थाना संख्या 361, थाना—देवघर, अंचल—देवघर, जिला—देवघर से संबंधित इस कार्यालय के अधिसूचना संख्या 804/भू अ०, दिनांक 03.11.2017 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण में दिनांक—09.11.2017 को हुआ था, जिसका P.R. No. 173094 (Deoghar) 2017-18 है। जिसमें देवघर—मधुपुर पथ उन्नयन परियोजना के लिए अर्जनाधीन रकवा कमोवेश 2.08 एकड़ के स्थान पर 2.11 एकड़ पढ़ा जाय। अर्जनाधीन भूमि का संशोधित विस्तृत विवरणी निम्नलिखित हैं :-

क. स.	खाता सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	396	रैयती	बाड़ी-2	0.06	मुरती राय वो जवाला राय वो तुलोराय माता लाड़ो देवी वो श्याम राय वो दशरथ राय वो बहादुर राय वो जय कुमार राय वो पंचानन्द राय पे० दीन दयाल राय अंश समान सा० देह।	मौजा बाघा पाथर एवं लाकर बिन्धा	मौजा बसवरी रया	मौजा बारा टांड	दाग नं 380, 382, 393, 394, 395, 337, 271
2	1	387	रैयती	बाड़ी-2	0.015	तथैव।				
3	2	287	रैयती	बाड़ी-2	0.05	नेमानी राय वो गुरुचरन राय वो हाकिम राय पे० किनो राय 1/2 अंश समान वो काशी राय वो गौनो राय वो शनिचर राय पे० श्रवन राय 1/2 अंश समान सा० देह।				
4	2	337	रैयती	बाड़ी-2	0.19	तथैव।				
5	2	393	रैयती	बाड़ी-2	0.03	तथैव।				
6	2	380	रैयती	बाड़ी-2	0.04	तथैव।				
7	2	351	रैयती	बाड़ी-2	0.06	तथैव।				
8	2	378	रैयती	बाड़ी-2	0.07	तथैव।				
9	3	344	रैयती	बाड़ी-2	0.10	कार्तिक महतो वो भुवन महतो पे० चुटो महतो वो विश्वनाथ यादव वो हेमलाल यादव वो उमेश यादव वो रंजीत यादव पे० बालदेव महतो वो गणेश यादव वो देवेन्द्र यादव वो मदन यादव पे० गौवर्धन महतो वो मेघलाल महतो पे० ननकु महतो अंश समान सा०।				
10	3	376	रैयती	बाड़ी-2	0.25	तथैव।				
11	11	394	रैयती	बाड़ी-2	0.04	खलील मियां वो सकुर मियां वो अनवर मियां पे० सुलेमान मियां वो अली हुसैन वो मो० आसीन वो लुकमान अंसारी वो दीलजान अंसारी पे० रसुल मियां वो अलीमुदीन अंसारी वो इब्राहिम मियां पे० गुलजान मियां वो मो० अंसारी वो कयुम अंसारी वो नईय अंसारी वो इसराईल अंसारी वो इद्रीश अंसारी पे० अकलु मियां अंश समान सा० देह।				
12	11	382	रैयती	बाड़ी-2	0.035	तथैव।				
13	13	285	रैयती	मकान	0.005	श्याम सुन्दर वर्मा वो श्रीकान्त वर्मा वो केदार वर्मा वो अरविन्द वर्मा पे० नुनलाल वर्मा वो पार्वती देवी वो गौरी देवी वो मैना देवी पे० पतरु महतो अंश समान सा० सिमरा।				


14	13	286	रैयती	बाड़ी-2	0.20	तथैव।				
15	13	346	रैयती	बाड़ी-2	0.03	तथैव।				
16	13	353	रैयती	बाड़ी-2	0.13	तथैव।				
17	18	339	रैयती	बाड़ी-2	0.09	कारु वर्मा पे० पदु महतो वो वेकुन्ठ वर्मा वो संजय वर्मा पे० रवी वर्मा अंश समान सा० सिमरा।				
18	18	381	रैयती	बाड़ी-2	0.02	तथैव।				
19	18	345	रैयती	बाड़ी-2	0.03	तथैव।				
20	18	372	रैयती	बाड़ी-2	0.06	तथैव।				
21	20	347	रैयती	बाड़ी-2	0.02	देवन मराण्डी वो बुजू मराण्डी पे० लेडा मराण्डी वो गणेश मराण्डी वो दीवा मराण्डी पे० खेरा मराण्डी अंश समान सा० देह।				
22	24	288	रैयती	बाड़ी-2	0.15	नन्दलाल सोरेन वो छोटेलाल सोरेन पे० गणेश सोरेन वो डगरा सोरेन वो दलाल सोरेन पे० ढेगा सोरेन वो बबुआ सोरेन पे० मुरल सोरेन वो मंगला देवी पति खुबलाल सोरेन वो जगन सोरेन वो विशेश्वर सोरेन पे० बड़का सोरेन वो शालीग्राम सोरेन पे० नुनवा सोरेन वो मंगल सोरेन वो लखेश्वर सोरेन वो वीपीन सोरेन पे० परना सोरेन अंश समान सा० पिछड़ीवाद।				
23	24	288	रैयती	बाड़ी-2	0.025	तथैव।				
24	24	342	रैयती	बाड़ी-2	0.095	तथैव।				
25	24	340	रैयती	बाड़ी-2	0.03	तथैव।				
26	24	338	रैयती	बाड़ी-2	0.06	तथैव।				
27	24	395	रैयती	बाड़ी-2	0.035	तथैव।				
28	24	352	रैयती	बाड़ी-2	0.06	तथैव।				
29	24	373	रैयती	बाड़ी-2	0.06	तथैव।				
30	25	348	रैयती	बाड़ी-2	0.03	जागेश्वर सोरेन वो नरेश सोरेन पे० होपना सोरेन अंश समान सा० पिछड़ी वाद।				
31	2	351	रैयती	बाड़ी-2	0.04	विद्यालय				
कुल रकवा-					<b>2.11</b>					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के

बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा कय/विकय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधीत इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियाँ हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।

ज्ञापांक .....98...../ भू अ0, देवघर, दिनांक .....3/2/18.....

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।

  
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,  
देवघर।